

उनवान:- फरेबी लाल बनाम मोतीराम
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
4/5/24	<p>वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 30.05.2024 को पेश हो।</p> <p>(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p>
30/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व बर की ओर से कार्य स्पष्टन करा गया है। प्रतिवादी न० 1 व न० 3 के नोटिस लाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वास्ते दिनांक 28.6.24 को पेश हो।</p>
28/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1 व न० 3 की ओर से जी सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 24.7.24 को पेश हो।</p>
24/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील को जबाब पेश करने की हिदायत दी गई। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 7.8.24 को पेश हो।</p>

1998-2000
24/5/24



खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करीली

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष कारण उपस्थित। अलिपाडी वकील ने परिवादी नं० 1 अंश 3 की कोर्ट से जमाना पेश किया नरक चाड़ी वकील को दिखि गई वॉले उमकीयाल दिनांक 7.4.25 को पेश है।

f

25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष कारण उपस्थित। वॉले उमकीयाल दिनांक 5.5.25 को पेश है।

5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष कारण उपस्थित। गंगानुसार दिनांक 21/5/25 को पेश है।

21/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष कारण उपस्थित। वॉले उमकीयाल दिनांक 23/6/25 को पेश है।

11-6-25 पत्रावली पक्षकारण के पार्श्व पत्र से तब की गई। उभयपक्षकारण ने इस बाबत पार्श्व पत्र पेश किया की इस पक्षकारण के मुख्य शर्तियां हैं, मुकदमे की ठानी नहीं चलाना चाहते हैं। पक्षकारण के पार्श्व पत्र का आवेदन किया।

पुस्तक
मोतीराम
Ident - d
2/2/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जि

दिनांक फर्द अहकाम

प्रति मे सहमत है। पत्रावली खाते
की जारी है। ~~कमल कुमार~~ ~~देव~~ नमक
से कम कर शेष उफर है

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)